

बिहार शिक्षा परियोजना, वैशाली

(प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा)
पान हाट, लक्ष्मी धर्मकांटा के निकट, हाजीपुर पिन न0-844101

पत्रांक..... 1024

प्रेषक :

कविता कुमारी
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्राठीशो एवं समग्र शिक्षा), वैशाली

सेवा में

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
द आई०ए०ए० विले (टी०आई०बी०) लखनपुर लाल, देसरी
जिला-वैशाली

हाजीपुर, दिनांक 23/6/2021

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के अन्तर्गत विद्यालय को प्रदत्त प्रस्वीकृति के अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के आलोक में द आई०ए०ए० विले (टी०आई०बी०) लखनपुर लाल, देसरी जिला-वैशाली को कक्षा प्रथम से अष्टम तक संचालन हेतु तीन वर्षों अर्थात् जून 2021 से मई 2024 तक की अवधि के लिए आवंटित औपबंधिक प्रस्वीकृति संख्या-RTE-VSL-0100/2018 का अवधि विस्तार किया जाता है। प्रदत्त प्रस्वीकृति, शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के धारा-18 के अन्तर्गत प्रपत्र-2 में वर्णित शर्तों के अनुपालन के अधीन है। आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति संख्या-RTE-VSL-0100/2018 है। कार्यालय से किसी प्रकार के पत्राचार हेतु इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्घृत किया जाय।

विश्वासभाजन

12/53-06-2021

(कविता कुमारी)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

(प्राठीशो एवं समग्र शिक्षा), वैशाली

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि:

1024

हाजीपुर, दिनांक

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), वैशाली एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी को निदेश दिया जाता है कि संबंधित विद्यालय को विभाग द्वारा औपबंधिक प्रस्वीकृति दी गई है, जिनका विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मान्य है तथा जिनका प्रतिहस्ताक्षरण आपके द्वारा अभिलेखों के मिलान उपरान्त किया जाना है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्राठीशो एवं समग्र शिक्षा), वैशाली

12/53-06-2021